

Govt. of Bihar
Transport Department

Notification

File no. 6/CMT-24/2012 Memo-³⁴⁵⁰n /Dated:- 18/06/2014

The Governor of Bihar in exercise of powers vested in it under rule 108(2) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 specifies that government vehicle carrying following officers shall be permitted to use blue light (with flasher) on its front atop:-

1	All Principal Secretaries
2	Director General of Police/Additional Director General of Police
3	Secretary to the Government
4	Registrar General/Registrar, High Court
5	Divisional Commissioner
6	Inspector General of Police
7	Zonal Inspector General of Police
8	State Transport Commissioner
9	Regional Deputy Inspector General of Police
10	District and Sessions Judge/Principal Judge/Equivalent.
11	District Magistrate
12	Superintendent of Police
13	Additional District and Sessions Judge
14	Deputy Development Commissioner
15	Additional District Magistrate
16	Chief Judicial Magistrate
17	Sub-Divisional Magistrate
18	Sub- Divisional Police Officer

2. The government vehicles shall have name plates of the department and monogram of Government of Bihar.
3. In case of vehicles fitted with blue light in the top front is not carrying the concerned official then such blue light shall not be used and be covered by a black cover.

(By order of the Governor of Bihar)

Vijay Prakash
18.6.14
Principal Secretary,

Transport Department, Govt. of Bihar.

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की पाँच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग के प्रयोगनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

Vijay Prakash
18.6.14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधान परिषद एवं विधान सभा सचिवालय/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, लोकायुक्त बिहार/महाधिवक्ता, बिहार/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य योजना परिषद/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार एवं मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं सभी शाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Vijay Prakash
18.6.14
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

Vijay Prakash
18.6.14
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, 303, बिहार भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021 को सूचनार्थ प्रेषित ।

Vijay Prakash
18.6.14
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

Vijay Prakash
18.6.14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।